मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०२०

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, २०२०.

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२० है. **संक्षिप्त नाम.**

भाग—एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, धारा १३३-क में उपधारा (१) में, शब्द "तीन प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "तीन प्रतिशत से अधिक नहीं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए" स्थापित किए जाएं. **मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.**

भाग—दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा १६१ में, उपधारा (१) में, शब्द "तीन प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "तीन प्रतिशत से अधिक नहीं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए" स्थापित किए जाएं. **मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.**

४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक १० सन् २०२०) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात, या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगरीय क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति के संव्यवहारों पर संदाय की जाने वाली स्टांप शुल्क पर ३ प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी के अधिरोपण का उपबंध करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १३३-क और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा १६१ में संशोधन प्रस्तावित है.

२. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उल्लेखित किया गया था कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम और नगरपालिका की सीमा के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के दान विक्रय आदि से संबंधित लिखतों पर तीन प्रतिशत की दर से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है जो विक्रय पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क (५ प्रतिशत) का ६० प्रतिशत बनता है किन्तु कुछ मामलों में जैसे परिवार में दान की लिखत पर देय अतिरिक्त शुल्क इस पर देय स्टाम्प शुल्क (२.५ प्रतिशत) का १२० प्रतिशत बनता है जो युक्तिसंगत नहीं है.

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक १० सन् २०२०) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख १६ सितम्बर, २०२०.

भूपेन्द्र सिंह
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक खण्ड-२ तथा ३ द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम और नगर पालिका की सीमा के भींतर स्थित अचल संपत्ति के दान विक्रय आदि से संबंधित लिखतों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने के संबंध में विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, जो सामान्य स्वरूप का होगा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

नगरीय क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति के संव्यवहारों पर संदाय की जाने वाली स्टाम्प शुल्क पर ३ प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उल्लेखित किया गया था कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम और नगरपालिका की सीमा के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के दान विक्रय आदि से संबंधित लिखतों पर तीन प्रतिशत की दर से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है जो विक्रय पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क (५ प्रतिशत) का ६० प्रतिशत बनता है किन्तु कुछ मामलों में जैसे परिवार में दान की लिखत पर देय अतिरिक्त शुल्क इस पर देय स्टाम्प शुल्क (२.५ प्रतिशत) का १२० प्रतिशत बनता है जो युक्तिसंगत नहीं है. जिस कारण मध्यप्रदेश नगर पालिक एवं नगरपालिका विधियों में संशोधन किया जाना आवश्यक था.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश २०२० (क्रमांक १० सन् २०२०) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.